न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 273/2020

दायर दिनांक 10.11.2020

निर्णय दिनांक 18.03.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा
2. भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा

विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: **निर्णय** :–

दिनांक 18.03.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4576/4359 रकबा 02 बिस्वा, 4577/4359 रकबा 02 बिस्वा, 4578/4359 रकबा 4 बिस्वा भूमि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है। परन्तु नक्शा लट्ठाशीट में बट्टा नम्बर दर्ज नहीं है। आराजी नम्बर 4359 रकबा 14 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 4576/4359 रकबा 02 बिस्वा गोपीलाल पिता मांगीलाल नाई सा0 देह अमरगढ़ के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 4577/4359 रकबा 02 बिस्वा सुन्दर लाल पिता मगनीराम कलाल सा0 देह अमरगढ़ के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 4578/4359 रकबा 4 बिस्वा भूमि रामेश्वर लाल पिता बद्रीनाथ निवासी उम्मेद नगर के नाम दर्ज हैं इसी प्रकार आराजी नम्बर 4359 रकबा 14 बिस्वा भूमि नाहर सिंह पिता उकार सिंह राजपूत के नाम दर्ज है। तीनों बट्टा नम्बर का राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है। अतः नक्शाशीट में तरमीम कराए जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में आराजी नम्बर 4359, 4576/4359, 4577/4359, 4578/4359 की जमाबन्दी की नकल एवं नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न की है। भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2032 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की है। इस प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है– ग्राम पांसल में टीआईएलआरएमपी योजना के तहत तरमीम से शेष रहे आराजी नम्बर 4445/4341, 4576/4359, 4577/4359, 4578/4359 पर तत् समय तरमीम नहीं होने के कारण न्यायालय उपखंड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 273/2020 तथा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी 4579/3136, 896 पर प्रकरण संख्या 272/2020 से स्थगन का नोट अंकित है, इस संबंध में राजस्थान लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 60 उपनियम (4) (क) व माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र (1) क्रमांक BR/LR/NLRMP/F-126/PART-2/11433-468 दिनांक 21.09.2015 (2) क्रमांक/फा/पीआरएफ/एनआरएलएमपी/2010–11 /19–51 दिनांक 17.01.2011 (3) क्रमांक–राम/भू.अ.//एफ–126/2018/1586 दिनांक 16.08.2018 (4) राजस्व (ग्रुप–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक– प 7(4) राज/2/2015 दिनांक 30.06.2015 में दिये आदेशों की अनुपालना में रिपोर्ट पटवारी पांसल व जांच भू–अभिलेख निरीक्षक पांसल के अनुसार ग्राम पांसल के आराजी 4576/4359, 4577/4359, 4578/4359, को मूल आराजी नम्बर 4359 में तथा आराजी नम्बर 4445/4341 को मूल आराजी नम्बर 4341 में मर्ज किया गया तथा आराजी नम्बर 896 में नामान्तकरण संख्या 3840 निर्णय दिनांक 30.12.2009 पर चस्पा ट्रेस व आराजी नम्बर 4579/3136 का मौका अनुसार व शपथपत्र अनुसार प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार भू–नक्शा पोर्टल पर तरमीम कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 4576/4359, 4577/4359, 4578/4359 को मूल आराजी नम्बर 4359 में तथा आराजी नम्बर 4445/4341 को मूल आराजी नम्बर 4341 में मर्ज किया गया है। आराजी नम्बर 4579/3136 का मौके अनुसार व शपथ पत्र अनुसार प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार भू नक्शा पोर्टल पर तरमीम करना तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी के प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। इस प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.11.2020 को समाप्त किया जाता है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
[illegible] अधिकारी
भीलवाडा